

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....

सहायक कलक्टर

(SDO) बायतु

मुकाम.....

बनाम

सुभाश राम

सुभाश राम वर्मा

किस्म मुकदमा

क्र. 111, 128 RLR

नं. 177/2022 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/4/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>खेताराम JKAS</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>4/05/22</u> को पेश हो।</p>	
04/05/2022	<p>प्रार्थी व वकील उपरोक्त/विप्रार्थी/वादी के नोटिस तामील सुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विप्रार्थी/वादी/विप्रार्थी/वादी वास्तु तामील अनुसंधान/न्यायालय समुप तीन बार कावज लगाई गई किन्तु कावज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थी/वादी स्वयं या उनकी किराये में कोई किरायेदार उपरोक्त नही सुद्धा लिखाया विप्रार्थी/वादी के बिलकूल एडवरसा कावज के फिल में लाई जाती है किन्तु वास्ते कावज पत्रावली दिनांक 23/05/2022 को पेश की/गई</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर</p>


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23/5/22

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला - गन्धर्व

न्यायालय उप
प्रार्थी
क : वाद / 2022 / 745

बनाम
1. लुम्काराम पुत्र जुगलाराम
जाति जाट, निवासी मीठियावाला,
पटवार मण्डल बायतु
तहसील

हुक्म
में जा

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 745

दिनांक : 23/05/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. लुम्भाराम पुत्र जुगताराम,
जाति जाट, निवासी मीठियातला,
पटवार मण्डल बायतु पनजी,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. डुंगराराम पुत्र मूलाराम वगैरा 05,
जाति जाट, निवासी मीठियातला,
पटवार मण्डल बायतु पनजी,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 177 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - मीठियातला, पटवार मण्डल - बायतु पनजी, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1117/881 रकबा 1.2055 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिस)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

दिनांक : 23/05/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 746-750

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लुम्भाराम पुत्र जुगताराम,
4. विप्रार्थी श्री डुंगराराम पुत्र मूलाराम वगैरा 05,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला-बाड़मेर